

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ ✓ /2022.लखनऊ:दि0::अप्रैल, 19, 2022

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश वेट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पीठ-गोरखपुर में दिनांक 28.04.2022 एवं 29.04.2022 तक के लिए निम्न प्रकार युगल पीठ गठित की जाती है—

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य
01	02	03	04	05
1.	पीठ-गोरखपुर	पीठ-गोरखपुर	दिनांक 28.04.22 से 29.04.22 तक	श्री वीरेन्द्र कुमार एच0जे0एस0 सदस्य पीठ-गोरखपुर श्री बाबू लाल, विभागीय सदस्य मुख्यालय।

ह0 / 19.04.2022
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 581 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-गोरखपुर।
2. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. श्री बाबू लाल, विभागीय सदस्य मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।